

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में
रिट याचिका संख्या 1445 / (एम०एस०) 2019

ओबेरॉय मोटर्स, एसआई ओबेरॉय मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड की एक
इकाई। लिमिटेड और दूसरे.....याचिकाकर्ता।

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य प्रतिवादी

रिट याचिका संख्या 1093 (एम०एस०)2019 के साथ

ई एस एस ई एल एल मोटर्स के साथ ई एस एस ई एल एल फूड्स
लिमिटेड की एक इकाई और अन्य.....याचिकाकर्ता।

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य और अन्यप्रतिवादी।

याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वीके कोहली,

सहायता की गयी श्री कांति राम शर्मा।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री जेपी जोशी,
अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ सुश्री अंजलि भार्गव
एवं श्री पी सी बिष्ट, अतिरिक्त सी एस सी और श्री
एन पी साह और श्री सुशील वशिष्ठ,

04.01.2021 को आरक्षित

12.02.2021 को सुनाया गया ,

निर्णय

माननीय लोक पाल सिंह, जे.

चूंकि, उपरोक्त उल्लिखित याचिकाओं में शामिल विवाद समान हैं, इसलिए, उन्हें संक्षिप्तता और सुविधा के लिए, इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा एक साथ तय किया जा रहा है।

2. 2019 की रिट याचिका संख्या 1445 (एम०एस०) प्रमुख मामला होगा।

3. दोनों रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई राहत निम्नानुसार प्रस्तुत है—

“ए) उत्तरांचल मोटर वाहन कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 4 की उप-धारा (4)के साथ—साथ धारा 4 के खंड 5 (बी) साथ ही **अधिसूचना संख्या 6/ix-1/106/2012/2019** दिनांक 02.01.2019 प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी किया गया और साथ ही पूर्व **अधिसूचना संख्या 1011/106/ix-1/2012** दिनांक 29 नवंबर, 2012। को असंवैधानिक, अवैध, शून्य और क्षेत्राधिकार के बिना घोषित किया जाए।

एए) दिनांक **02.01.2019** की अधिसूचना संख्या **06/ix 1/ 106 /2012 /2019** दिनांक 02.01.2019 द्वारा निर्धारित कर की दर को अत्यधिक, अवैध और दंडात्मक घोषित किया जाए।

एबी) उत्तरांचल मोटर वाहन कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 5 (बी) धारा 4 को अवैध, शून्य और अधिकार क्षेत्र के बिना घोषित करने के लिए और आगे घोषित किया जाए कि राज्य को कर अर्जित करने से पहले चार्ज करने का कोई अधिकार नहीं है।

4. यहां याचिकाकर्ता दोपहिया वाहनों, हल्के मोटर वाहनों और भारी मोटर वाहनों की बिक्री और खरीद में लगे डीलर हैं। उन्हें कर/पंजीकरण अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, देहरादून, जिला देहरादून द्वारा नियम 35(1) के तहत ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 17 का फॉर्म प्रदान किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य ने एक अधिनियम बनाया है जिसे "उत्तरांचल मोटर वाहन कराधान सुधार अधिनियम, 2003" (इसके बाद "अधिनियम 2003" के रूप में संदर्भित है) अधिनियम 2003 की धारा 4(1) में प्रावधान है कि किसी भी मोटर वाहन का उपयोग उत्तरांचल (अब उत्तराखण्ड) में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे मोटर वाहन के संबंध में लागू दर पर एकमुश्त न कर दिया जाए, जैसा कि प्रथम अनुसूची भाग 'बी' में निर्दिष्ट है। अधिनियम 2003 की धारा 4(2) में प्रावधान है कि कोई भी परिवहन वाहन उत्तरांचल (अब उत्तराखण्ड) के किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकेगा जब तक कि प्रथम सूची के भाग डी में प्रावधानित लागू दर के आधार पर कर का भुगतान न कर लिया गया हो। अधिनियम 2003 की धारा 4(3) प्रावधान करती है कि परिवहन वाहन के अलावा कोई अन्य ऐसा वाहन, जिसके

सम्बन्ध में एकमुश्त टैक्स भुगतान किया गया है, परिवहन वाहन के रूप में संचालित किया जाता है, तब ऐसे वाहन के सम्बन्ध में अधिनियम के तहत परिवहन वाहन हेतु प्रावधानित कर का भुगतान करना होगा। अधिनियम 2003 की धारा **4(4)** (असंशोधित)में प्रावधान है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची प्रथम के भाग 'b', भाग 'C' या भागभाग 'D' में निर्दिष्ट कर की दरों में पचास प्रतिशत से अनअधिक की वृद्धि कर सकती है।

5. प्रतिवादी संख्या 1 ने अधिसूचना संख्या 1011/106/ix-1/2012 दिनांक 29 नवंबर 2012 जारी की थी, जिसके तहत डीलरों के कब्जे वाले वाहनों पर अधिनियम 2003 की धारा **4(4) के तहत कर लगाया गया है। इस प्रकार लगाई गई दर दोपहिया और हल्के मोटर वाहनों के लिए 50रु0 और मध्यम और भारी मोटर वाहनों के लिए 100रु0 किया गया है। 2013 के अधिनियम संख्या 8 में संशोधन करके, जो **01.12.2012** को लागू हुआ, धारा 4 की मूल उपधारा (4) को हटा दिया गया है और इसके स्थान पर धारा 4 की निम्नलिखित उपधारा (4) को प्रतिस्थापित किया गया है: -**

"इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, बिक्री के उद्देश्य से डीलर के कब्जे में रखे गए मोटर वाहनों पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर कर लगाया जाएगा।"

इसके अलावा, धारा 4 की उपधारा (4) में खंड V (बी) के अनुसार, कर का भुगतान अग्रिम रूप से या प्रत्येक वर्ष जनवरी के 15 दिन या उससे पहले किया जाना है। अधिसूचना दिनांक **29.11.2012** में दिया गया स्पष्टीकरण यह है कि कर का मूल्यांकन और भुगतान पिछले कैलेंडर वर्ष में बेचे गए वाहनों की संख्या के आधार पर होगा।

इसके बाद, प्रतिवादी नंबर-1 ने पूर्व अधिसूचना को खत्म करते हुए आगे अधिसूचना संख्या **06/ix-1/106/2012/2019** दिनांक **02.01.2019**, जारी की, जिसके तहत, प्रतिवादी नंबर 1 ने डीलरों के कब्जे में वाहनों के संबंध में कर की वार्षिक दर को निम्नलिखित तरीके से बढ़ाया है—

- | | |
|--------------------------|------------|
| क) दोपहिया वाहन 100/- | प्रति वाहन |
| ख) हल्के मोटर वाहन 200/- | प्रति वाहन |

ग) मध्यम और भारी वाहन 300/- प्रति वाहन।

6. अधिसूचना संख्या 06/ix-1/106/2012/2019 दिनांक 02.01.2019, से व्यथित होकर याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष हैं।

7. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आग्रह किया कि दोपहिया और हल्के मोटर वाहनों के लिए कब्जे कर की दर रुपये 50/- प्रति वाहन से रु0 100/-प्रति वाहन यानी 100 प्रतिशत बढ़ा दी गई है। और मध्यम और भारी वाहनों के लिए, कब्जा कर की दर रुपये 100/- प्रति वाहन से रु0 300/- प्रति वाहन, यानी 300 प्रतिशत बढ़ा दी गई है। जब कि इससे पहले की कब्जा कर की दर हल्के मोटर वाहनों के लिए 50/- और मध्यम और भारी मोटर वाहनों के लिए 100/- रुपये प्रावधानित थी। दोपहिया और हल्के मोटर वाहनों के लिए कब्जा कर 100 रुपये से बढ़ाकर 200/- जबकि मध्यम और भारी वाहनों के लिए टैक्स बढ़ाकर 300/- प्रति वाहन कर लिया गया है।

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि राज्य को कब्जा कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है जैसा कि 2013 के संशोधन अधिनियम संख्या 8 द्वारा किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि इस तरह से कब्जा कर बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया है कि कर को मौजूदा कर के 50% से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन, मौजूदा मामले में; कब्जा कर, जैसा कि प्रतिवादी संख्या -1 द्वारा लगाया गया है। वह 50% से अधिक है। चूँकि, राज्य के पास कब्जा कर लगाने और एकत्र करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है; उक्त अधिनियम के प्रावधान असंवैधानिक घोषित किये जाने योग्य हैं। यह तर्क दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार, राज्य सरकार कब्जा कर लगाने में सक्षम नहीं है।

9. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे आग्रह किया कि निम्नलिखित आधारों पर कब्जा कर लगाना अवैध, शून्य और अधिकार क्षेत्र के बिना है: -

"ए) प्रतिवादी नंबर-1 के पास कानून के किसी भी प्रावधान के तहत डीलरों द्वारा वाहनों के कब्जे पर कब्जा कर लगाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और यह असंवैधानिक भी है।

ख) पिछले वर्ष की बिक्री के अनुसार अग्रिम रूप से कब्जा कर लगाना बहुत अवैध और अनुचित है।

ग) कि प्रतिवादी नंबर-1 का कार्य आरोप लगाने की तारीख से ही शुरू से ही शून्य है।

घ) जब वाहन डीलर की निजी संपत्ति है तो कब्जा कर लगाना भारत के किसी भी अधिनियम के तहत उचित नहीं है, न ही ऐसा कर कानूनी रूप से लगाया जा सकता है और धारा 4 की उप-धारा (4) का प्रावधान अधिकार क्षेत्र के बिना और संविधान की भावना के विरुद्ध होने के कारण शून्य है और इसी प्रकार दिनांक **01.01.2019** की अधिसूचना भी अवैध, शून्य और अतार्किक है।

इ) जब वाहन डीलर की निजी संपत्ति के रूप में रखा जाता है, तो कब्जा कर लगाना भारत के किसी भी अधिनियम के तहत उचित नहीं है, न ही ऐसा कर कानूनी रूप से लगाया जा सकता है, यह अतार्किक होने के साथ-साथ अनुचित और अनुचित व्यापार प्रतिबंध भी है।

च) कि भारत का संविधान राज्य सरकार को किसी व्यक्ति या फर्म या कंपनी के कब्जे में बेची गई निजी संपत्ति पर कर लगाने की कोई शक्ति नहीं देता है।

छ) पिछले साल की बिक्री के आधार पर हर साल 15 जनवरी तक कर का अग्रिम आकलन और लाभ अवैध और अतार्किक है। संभाव्यताओं पर अग्रिम रूप से कोई कर नहीं लगाया जा सकता, वह भी वाहन के कब्जे से पहले जब संख्या भी ज्ञात न हो।"

10. यह कहा गया है कि पहले अधिसूचना **29.11.2012** को जारी की गई थी, याचिकाकर्ताओं ने उस समय कब्जा कर लगाने को केवल इस कारण से चुनौती नहीं दी थी कि उत्तरदाता याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर विचार करेंगे। लेकिन, प्रतिवादीगण इसके बाद, प्रतिवादी संख्या-1 ने दिनांक **02.01.2019** को एक नई अधिसूचना जारी की, और मनमाने और अवैध तरीके से कब्जा कर बढ़ा दिया, इसलिए, याचिकाकर्ता वर्तमान रिट याचिकाएं दायर करने के लिए बाध्य हैं।

11. त्वरित संदर्भ के लिए, दिनांक **29.11.2012** की आक्षेपित अधिसूचनाएँ यहाँ से निकाली गई हैं:-

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के प्रावधानों के अनुसरण में, राज्यपाल **अधिसूचना संख्या 1018/106/ix-1/2012** दिनांक **29 नवंबर 2012** के निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद के सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशन का आदेश देते हुए प्रसन्न हैं।

उत्तराखण्ड सरकार

परिवहन अनुभाग.1

संख्या 1018/106/ix-1/2012

देहरादून: दिनांक 29 नवंबर, 2012

अधिसूचना

उत्तराखण्ड मोटर वाहन कराधान सुधार अधिनियम 2003 ;(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12, 2003) की धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कॉलम (2)में दर्शित बिक्री के डीलरों के कब्जे में रखे गए मोटर वाहनों के संबंध में राज्यपाल नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट मोटर वाहनों के कर की दर तय करने में प्रसन्न हैं।

प्रविष्टि

धारा 4 की उपधारा (4) के अंतर्गत डीलरों के कब्जे में वाहनों पर कर की तालिका दर-

क्र०सं० वाहनों का विवरण प्रत्येक वाहन पर कर की वार्षिक दर

(रुपये में)

1	2	3
1.	दो पहिया एवं हल्का मोटर वाहन	50
2.	मध्यम एवं भारी मोटर वाहन	100

स्पष्टीकरण- कर का निर्धारण एवं भुगतान पिछले कैलेंडर वर्ष में बेचे गये वाहनों की संख्या के आधार पर होगा। यदि पिछले वर्ष बेचे गए वाहनों की संख्या में अंतर है, तो चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान डीलर के कब्जे में वाहनों की संख्या, भुगतान किए गए कर और पहुंच या देय कर का अंतर, जैसा भी मामला हो, समायोजित किया जाएगा। या

अगले कैलेंडर वर्ष में भुगतान किया जाएगा, जहां टैक्स जमा किया जा रहा है।

आदेशानुसार

(डॉ. उमाकान्त पँवार)

सचिव[॥]

12. इसके अलावा, दिनांक 02.01.2019 की अधिसूचना यहां नीचे दी गई है:

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के प्रावधानों के अनुसरण में, राज्यपाल सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचना संख्या 06 दिनांक 02, जनवरी, 2019 के निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद के प्रकाशन का आदेश देते हुए प्रसन्न हैं।

उत्तराखण्ड सरकार

परिवहन अनुभाग.1

06/ix-1/106/2012/2019

देहरादून: दिनांक 02 जनवरी, 2019

अधिसूचना

उत्तराखण्ड मोटर वाहन कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 सन् 2003), की धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 1018/ix-1/106/2012 दिनांक 29.11.2012 को अधिक्रमण करते हुए, राज्यपाल मोटर वाहनों के कर की दर को निर्दिष्ट अनुसार तय करने की कृपा करते हैं नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में कॉलम (2) के सामने बिक्री के उद्देश्य से डीलरों के कब्जे में रखे गए हैं।

प्रविष्टि

धारा 4 की उपधारा (4) के अंतर्गत डीलरों के कब्जे में वाहनों पर कर की तालिका दर-

क०सं० वाहनों का विवरण प्रत्येक वाहन पर कर की वार्षिक दर

(रुपये में)

1	2	3
1.	दो पहिया मोटर वाहन	100
2.	हल्के मोटर वाहन	200
3.	मध्यम व भारी मोटर वाहन	300

स्पष्टीकरण- कर का निर्धारण एवं भुगतान पिछले कैलेंडर वर्ष में बेचे गये वाहनों की संख्या के आधार पर होगा। जहां पिछले वर्ष में बेचे गए वाहनों की संख्या और चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान डीलर के कब्जे में वाहनों की संख्या के बीच अंतर है, तो कम भुगतान किए गए अंतर कर या पहुंच, जैसा भी मामला हो, को अगले कैलेंडर वर्ष में टैक्स जमा करते समय समायोजित या भुगतान किया जाएगा।

आदेशानुसार

(हरि चन्द्र सेमवाल)

अपर सचिव"

13. उत्तरदाताओं ने रिट याचिका संख्या 1093 (एम/एस) 2019A में अपना जवाबी हलफनामा दायर किया। उक्त जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि इस न्यायालय द्वारा 27.04.2019 को इस निर्देश के साथ अंतरिम आदेश दिया गया था कि विवादित अधिसूचनाओं के अनुसार बरामद की गई कोई भी राशि अंतिम परिणाम के अधीन होगी। रिट याचिका और इस प्रकार वसूल की गई राशि को एक अलग खाते में रखा जाएगा। इसी प्रकार रिट याचिका संख्या 1445 (एम/एस) 2019 में भी 23.05.2019 को अंतरिम आदेश पारित किया गया है। उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि राज्य

विधानमंडल को सूची- II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 56 में सड़क और अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा ले जाने वाले माल और यात्रियों पर कर लगाने और सूची II की प्रविष्टि 57 के तहत सड़कों पर उपयोग के लिए उपयुक्त वाहनों पर कर लगाने का अधिकार है।

"प्रविष्टि 56 सड़क या अंतर्देशीय जलमार्गों से ले जाए जाने वाले माल और यात्रियों पर कर।

प्रविष्टि 57 सूची III की प्रविष्टि 35 के प्रावधानों के अधीन ट्रामकारों सहित सड़कों पर उपयोग के लिए उपयुक्त वाहनों पर कर, चाहे वे यंत्रचालित हों या नहीं।

14. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची- III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 35 राज्य सरकार और संघ दोनों को कराधान के सिद्धांत को निर्धारित करने का अधिकार देती है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 35 यहां उद्धृत की गई है:

"प्रविष्टि 35. यंत्रचालित वाहन जिसमें वे सिद्धांत भी शामिल हैं जिन पर ऐसे वाहन पर कर लगाया जाना है।"

आगे यह तर्क दिया गया है कि संशोधित उप. अधिसूचना दिनांक 29.11.2012 द्वारा धारा 4 की उपधारा (4), बिक्री के उद्देश्य से डीलर के कब्जे में वाहनों पर कर की दर निम्नानुसार निर्धारित की गई है: -

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	दर रु.
1.	दो पहिया एवं हल्के मोटर वाहन	50/-
2.	मध्यम एवं भारी मोटर वाहन	100

15. राज्य के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि पूर्व अधिसूचना दिनांक 29.11.2012 को निरस्त करके, राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 02.01.2019 के माध्यम से प्रति वाहन, जो डीलर के कब्जे में रखा गया है, के लिए वार्षिक कर की दर में संशोधन किया है। आगे यह भी कहा गया है कि वाहनों के निर्माता बिक्री के उद्देश्य से

वाहनों को डीलरों के कब्जे में रखते हैं और यह डीलर की निजी संपत्ति नहीं है। संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 2 (e,a) में मोटर कार को संपत्ति में शामिल किया गया है, लेकिन ऐसी मोटर कारों को संपत्ति नहीं माना जाता है, जिनका उपयोग किराए के व्यवसाय में किया जाता है या व्यवसाय के लिए स्टॉक के रूप में उपयोग किया जाता है। संपत्ति कर, 1957 की धारा 2(e,a) इस प्रकार उद्धृत की गई है:-

"**2(e,a)** संपत्ति, 1 अप्रैल, 1993 को शुरू होने वाले मूल्यांकन वर्ष या किसी भी बाद के मूल्यांकन वर्ष के संबंध में, इसका मतलब है।
(मैं)

(ii) मोटर कारें; (उन कारों के अलावा जिनका उपयोग निर्धारिती द्वारा उच्च स्तर पर या स्टॉक-इन ट्रेड के रूप में चलाने के व्यवसाय में किया जाता है)।"

16. यह तर्क दिया गया है कि इसी तरह का विवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 5299-5304 / 2003, मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड बनाम झारखण्ड राज्य और अन्य में आया था, जिसके तहत, माननीय शीर्ष न्यायालय ने कर लगाने की वैधता को बरकरार रखा। आगे यह तर्क दिया गया है कि समय बीतने के साथ, कब्ज़ा कर की दर में उचित वृद्धि हुई है और कब्ज़ा कर की दर बढ़ाने में कोई मनमानी और अवैधता नहीं है।

17. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया।

18. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वीके कोहली ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जहां तक अधिनियम 2003 की वैधता को चुनौती का सवाल है, इस विवाद को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टाटा मोटर्स कंपनी लिमिटेड बनाम झारखण्ड राज्य में पहले ही बरकरार रखा जा चुका है। प्रश्न अब पुनः पूर्णांक का नहीं है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि 2003 के अधिनियम संख्या 8 पर माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई वैधता के अलावा, उत्तरदाताओं ने दिनांक **02.01.2019** की अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत कब्ज़ा कर 100 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।

19. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे तर्क दिया गया है कि चूंकि प्रतिवादियों द्वारा लगाया गया कब्ज़ा कर मनमाने ढंग से बढ़ाया गया है, इसलिए, बढ़ा हुआ अनुचित कर रद्द किया जाना चाहिए।

20. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जेपी जोशी ने कहा कि वर्ष में, हल्के वाहनों और भारी वाहनों के लिए कर 50 रुपये और 100 रुपये था, लेकिन दोपहिया वाहनों की श्रेणी पर विचार किया गया। हल्के वाहन और मध्यम और भारी मोटर, वाहन अलग-अलग प्राधिकरण ने दोपहिया, हल्के मोटर वाहन, मध्यम और भारी मोटर वाहनों के लिए अलग-अलग कब्ज़ा कर निर्धारित किया है।

21. यह तर्क दिया गया है कि दोपहिया वाहनों के लिए 100 रुपये की राशि के साथ-साथ हल्के मोटर वाहनों के लिए 200 रुपये की राशि और मध्यम और भारी मोटर वाहनों के लिए 300 रुपये की राशि का कब्ज़ा कर अत्यधिक कर नहीं कहा जा सकता है। यह कहा गया है कि कर लगाना राज्य सरकार की विधायी क्षमता के अंतर्गत है।

22. 2018 एससीसी ऑनलाइन एससी 2810 में रिपोर्ट किए गए टाटा मोटर्स लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है: -

"**19.** हम बता सकते हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ताओं ने धारा 6 के वायरस को इस आधार पर चुनौती दी थी कि राज्य विधानमंडल में इस प्रकृति का प्रावधान करने की क्षमता का अभाव है। यह बताया गया था कि धारा 6 मोटर वाहनों के निर्माता या डीलरों पर, केवल ऐसे निर्माता या डीलरों के केवल "कब्जे" के आधार पर कर लगाती है। यह तर्क दिया गया कि बिहार अधिनियम सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 57 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था। भारत का संविधान, कौन सी प्रविष्टि राज्य विधानमंडल को केवल कब्जे के आधार पर वाहन पर कर लगाने का अधिकार नहीं देती है। यह प्रविष्टि इस प्रकार है: -

"वाहन पर कर, चाहे वह यंत्रचालित हो या नहीं, सड़कों पर उपयोग के लिए उपयुक्त हो, जिसमें सूची III की प्रविष्टि 35 के प्रावधानों के अधीन ट्राम कारें भी शामिल हैं"

20. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस संबंध को इस कारण से खारिज कर दिया कि इस प्रविष्टि के तहत, उन वाहनों पर कर लगाया जा सकता है जो सड़कों पर उपयोग के लिए उपयुक्त हैं और यह पार्टियों का निर्विवाद मामला था कि अपीलकर्ताओं द्वारा निर्मित वाहन उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। सड़कों पर इसलिए, वह प्रावधान जो मोटर वाहन के निर्माता या डीलर को व्यवसाय के दौरान उसके कब्जे में मोटर वाहन के संबंध में निर्धारित करता है, ऐसे निर्माता या डीलर को कर का भुगतान करना होगा, प्रविष्टि 57 की विधायिका क्षमता के भीतर है। यह हमारे सामने भी विवाद उठाया गया है। हालाँकि, हम अपीलकर्ताओं से सहमत नहीं हैं क्योंकि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 57 पर उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क सही विश्लेषण है।

21. जहां तक मोटर वाहन अधिनियम (केंद्रीय अधिनियम), 1988 में संशोधन पर अनुमानित तर्क का संबंध है, हम फिर से पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि इस संशोधन की बिहार अधिनियम में निहित प्रावधानों से कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। डीलर की परिभाषा में निर्माता शामिल है या नहीं, यह महत्वहीन होगा क्योंकि बिहार अधिनियम की धारा 6 के तहत विधानमंडल ने डीलर और निर्माता दोनों पर कर लगाने का प्रावधान किया है। हम इस संबंध में उच्च न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों से सहमत हैं:

7. ...यह भी कहने की आवश्यकता नहीं है कि 1994 अधिनियम राज्य विधानमंडल द्वारा प्रविष्टि 57 (सुप्रा) के तहत और उसके संदर्भ में अधिनियमित किया गया है; जबकि 1988 का अधिनियम केंद्रीय संसद द्वारा समवर्ती सूची की प्रविष्टि 35 के तहत और उसके संदर्भ में

अधिनियमित किया गया है। इसके अलावा, जबकि 1988 अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह अधिनियम मोटर वाहनों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया है, 1994 अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह अधिनियम बिहार राज्य में मोटर वाहन (जैसा कि प्रासंगिक समय पर था) कर लगाने और लगाने को विनियमित करने की दृष्टि से बनाया गया है। दोनों अधिनियम इसलिए, कानून के दो अलग-अलग क्षेत्रों से निपटें और उनके संचालन के क्षेत्र भी अलग-अलग हैं, विधानमंडलों के दो अलग-अलग वर्गों द्वारा अधिनियमित किए गए हैं, एक संविधान के अनुच्छेद 246 खंड (2)के तहत निहित एवं प्रयोग करने योग्य शक्ति के और दूसरे खंड (3) के तहत निहित और प्रयोग करने योग्य शक्ति। इसलिए, दोहराव के जोखिम पर, हमें यह कहने में कोई झिल्लिक नहीं है कि एक अधिनियम में किसी भी परिवर्तन या परिवर्धन का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

22. हम उत्तरदाताओं से इस बात से भी सहमत हैं कि कर उन मोटर वाहनों के संबंध में था जो निर्माता के रूप में उसके व्यवसाय के दौरान निर्माता के कब्जे में थे, या प्राधिकरण के तहत डीलर के रूप में उसके व्यवसाय के दौरान डीलर के कब्जे में थे। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत दिए गए व्यापार प्रमाणपत्र का। वाहन निर्मित होने और सड़कों पर उपयोग के लिए उपयुक्त होने के बाद निर्माता मोटर वाहन के कब्जे में आ जाता है। निर्माता से मोटर वाहन प्राप्त करने और उसे ग्राहक को बेचने के अपने व्यवसाय के दौरान डीलर केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत दिए गए व्यापार प्रमाणपत्र के आधार पर मोटर वाहन के कब्जे में आ जाता है।

23. पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार करने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसले (उपरोक्त) में निर्धारित कानून के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मानना है कि उत्तरदाता अधिनियम बनाने के लिए सक्षम हैं। अधिनियम 2003 और 2013 के

अधिनियम संख्या 8 में संशोधन। जहां तक, अधिसूचना दिनांक 29.11.2012 और 02.01.2019 का संबंध है, दोपहिया और हल्के मोटर वाहनों के लिए कब्जे कर की दर और इसके बाद की वृद्धि के संबंध में भी मध्यम और भारी मोटर वाहनों की संख्या ₹0 क्रमशः 100/-, और 300/-रुपये, जो अनुचित और मनमाना नहीं लगता। अधिनियम 2003 का अधिनियमन, कब्ज़ा कर लगाना और उसके बाद की वृद्धि पूरी तरह से राज्य सरकार की विधायी क्षमता के अंतर्गत है।

24. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय का मानना है कि याचिकाकर्ता न्यायिक समीक्षा के लिए मामला बनाने में विफल रहे हैं। इस प्रकार दोनों रिट याचिकाएं निराधार हैं और खारिज किए जाने योग्य हैं।

25. नतीजतन, दोनों रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं। दोनों रिट याचिकाओं में पहले दिए गए अंतरिम आदेश भी निरस्त समझे जाएंगे।

26. हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

(लोक पाल सिंह, जे.)

रवि